समाहरणालय,गया

(जिला स्थापना शाखा)

चतुर्थवर्गीय रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक पैनल निर्माण के निमित दिनांक 08.07.2019 को आयोजित चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 08.07.2019 को चतुर्थवर्गीय रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के समादेश याचिका संख्या 2964/09 एवं 19120/10 में क्रमशः दिनांक 18.01.2010 एवं 10.07.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में समाहरणालय, गया द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2013-14 के अन्तर्गत निर्धारित अंतिम तिथि 31.01.2014 तक प्राप्त 21139 आवेदनों सहित सिविल सर्जन, गया द्वारा उपलब्ध कराई गई डी.डी.टी. के 71 छिड़काव कर्मी की सूची जिनके द्वारा विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन नहीं किया गया यथा कुल 21210 अभ्यर्थी के अनुरूप तैयार अंतिम संशोधित वरीयता सूची के आलोक में औपबंधिक पैनल निर्माण हेतु आयोजित चयन समिति की बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी उपस्थित हुये :-

जिला पदाधिकारी, गया।
उप विकास आयुक्त, गया।
अपर समाहर्त्ता, गया।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया।
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया।
जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया।
जिला नजारत उप समाहर्त्ता, गया।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया।
जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, गया।
श्री रवि शंकर शर्मा, वरीय उप समाहर्त्ता, गया।
उप श्रमायुक्त, गया।
जिला नियोजन पदाधिकारी, गया।
जिला योजना पदाधिकारी, गया।
जिला संख्यिकी पदाधिकारी, गया।
जिला कल्याण पदाधिकारी, गया।
जिला मलेरिया पदाधिकारी, गया।

आज की बैठक में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, गया द्वारा सर्वप्रथम समिति के सदस्यों को विभिन्न विभाग/कार्यालय से सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुरूप कोटिवार प्राप्त रिक्ति से अवगत कराया गया जो निम्न प्रकार है :-

कोटि	अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रिक्ति				10% अनुकम्पा हेतु सुरक्षित रखने के उपरांत उपलब्ध रिक्ति
	समाहरणालय	सिविल सर्जन	नियोजनालय	कुल (2+3+4)	
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित जाति	4	11	0	15	14
अनुसूचित जाति महिला	3	7	0	10	9
अनुसूचित जन जाति	4	4	0	8	7
अनुसूचित जन जाति महिला	0	0	0	0	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	14	11	0	25	23
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	3	7	1	11	9
पिछड़ा वर्ग	0	8	0	8	7
पिछड़ा वर्ग महिला	2	5	0	7	6
पिछड़ा वर्ग की महिला	2	2	0	4	4
विकलांग	2	3	1	6	6
सामान्य	6	32	1	39	35
सामान्य महिला	8	19	1	28	25
कुल :-	**48**	**109**	**4**	**161**	**145**

उक्त आलोक में समिति के सदस्यों द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित रोस्टर के अनुरूप प्राप्त रिक्ति (यथा 145) के विरूद्ध विज्ञापन की कंडिका 10 के अनुसार कोटिवार उपलब्ध रिक्ति का निम्न प्रकार दो गुणा अभ्यर्थी का औपबंधिक पैनल निर्माण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

कोटि	अनुमोदित रोस्टर के अनुरूप कोटिवार रिक्ति	औपबंधिक पैनल के अनुरूप अभ्यर्थी की संख्या
अनुसूचित जाति	14	28
अनुसूचित जाति महिला	9	18
अनुसूचित जन जाति	7	14
अनुसूचित जन जाति महिला	0	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	23	46
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला	9	18
पिछड़ा वर्ग	7	14
पिछड़ा वर्ग महिला	6	12
पिछड़ा वर्ग की महिला	4	8
विकलांग	6	12
सामान्य	35	70
सामान्य महिला	25	50
कुल :–	145	290

उक्त आरक्षणवार अनुमोदित रिक्ति के अनुरूप विभागीय निदेशानुसार 10% अनुकम्पात्मक नियुक्ति के लिए सुरक्षित कर शेष (161–16) 145 अभ्यर्थी में सामान्य कोटि का प्राप्त 35 रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 08.06.2019 को प्रकाशित अंतिम संशोधित वरीयता सूची के क्रमवार (दो गुणा) यथा क्रमांक 1 से 70 तक सामान्य कोटि को पैनलकृत कर शेष कोटिवार रिक्ति के लिए संबंधित कोटि के अभ्यर्थी का चयन हेतु स्तम्भ–3 में अंकित संख्या में औपबंधिक पैनल तैयार करने का निर्णय लिया गया।

पैनल निर्माण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP (Civil) Dairy No. 27312/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम अशोक कुमार एवं अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय में दायर MJC No. 3426/2015 संजीवन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य सहित MJC No. 935/2014 अशोक पासवान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित आवेदकों के अतिरिक्त अन्य सभी संबंधित न्यायालयवाद यथा CWJC/MJC/LPA/SLP इत्यादि वादों से आच्छादित आवेदकों का दावा माननीय न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

औपबंधिक पैनल सूची में किसी प्रकार की लिपिकीय भूल/टंकण अशुद्धि का मामला प्रकाश में आने पर प्राप्त दावा/आपत्ति के अनुसार औपबंधिक पैनल सूची में यथा संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में तैयार कोटिवार औपबंधिक पैनल सूची का अवलोकन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया एवं सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए जिले के बेवसाईट www.gaya.nic.in पर अपलोड कर प्रकाशन के 10 दिनों के अन्दर यथा दिनांक 18.07.2019 के अपराह्न 05.00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से दावा/आपत्ति आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार दिनांक 08.07.2019 को औपबंधिक पैनल सूची का प्रकाशन किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला मलेरिया पदाधिकारी, गया। | जिला कल्याण पदाधिकारी, गया। | जिला संख्यिकी पदाधिकारी, गया। | जिला योजना पदाधिकारी, गया। | जिला नियोजन पदाधिकारी, गया।

उप श्रमायुक्त, गया। | श्री रवि शंकर शर्मा, वरीय उप समाहर्त्ता, गया। | जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, गया। | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया। | जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गया।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, गया। | जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, गया। | असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया। | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गया।

अपर समाहर्त्ता, गया। | उप विकास आयुक्त, गया। | जिला पदाधिकारी, गया।

ज्ञापांक –.......686/स्था. गया दिनांक 08.... जुलाई 2019

प्रतिलिपि :– निदेशक, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गया (NIC) को औपबंधिक पैनल सूची के साथ गया जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आई०टी० प्रबंधक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, गया। | अपर समाहर्त्ता, गया। | जिला पदाधिकारी, गया।